

न्यायालय:—अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
शा० वि० राजू डहेरिया

बैहर, जिला—बालाघाट म.प्र.

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 165/11
संस्थित दिनांक 28.03.11

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना गढ़ी,
बैहर, जिला बालाघाट म०प्र०

.....अभियोजन

विरुद्ध

राजू डहेरिया पिता स्व. मुरारीलाल
उम्र 40 वर्ष निवासी स्वामी सीताराम वार्ड
मण्डला थाना मण्डला जिला—मण्डला म०प्र०

.....अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

—::दिनांक **31.08.2016** को घोषित::—

1. अभियुक्त राजू डहेरिया पर यह अभियोग है कि उसने दिनांक 03.02.2011 को समय लगभग 12:00 बजे स्थान ग्राम किरमीटोला थाना गढ़ी जिला बालाघाट में लोक मार्ग पर वाहन बस क्र० एमपी 20 पी.ए.1024 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा आहतगण सुकलियाबाई, शांतिबाई, रमेश, प्रदीपकुमार, ढोलू, रेवासिंह को साधारण उपहति एवं आहतगण सुकलियाबाई व शांतिबाई को घोर उपहति कारित किया जो कि भारतीय दण्ड संहिता (एतस्मिन् पश्चात् भा०दं०स०) की धारा 279, 337 एवं 338 के तहत दण्डनीय अपराध है।
- 2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सुकलियाबाई ने दिनांक 04.02.2011 को थाना गढ़ी में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि वह उक्त दिनांक को 12:00 बजे बस क्रमांक एम. पी.20 पी.ए.—1024 के चालक ने बस को खतरनाक तरीके से तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक चलाकर शर्मा ढाबा के पास पुलिया में पलटा दिया जिससे बस में बैठे आहत गण को चोटें आयी हैं। चोट आने से फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना गढ़ी में अपराध क्र० 06/11 धारा 279, 337 एवं 338 भा०दं०स० पंजीबद्ध कर आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान ६

शा० वि० राजू डहेरिया

ाटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया तथा फरियादी सुकलियाबाई तथा यशवंतसिंह, रमेश धुर्वे, शांतिबाई, दोलू मरावी, रेवा मरावी, प्रदीपकुमार तथा अन्य के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना उपरांत यह अभियोग पत्र भा०द०स० की धारा 279, 337 एवं 338 भा०द०स० के तहत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को अपराध विवरण की विशिष्टिया पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उसने अपराध किया जाना अस्वीकार किया है। आरोपी का विचारण किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रकट किये गये तथ्य एवं परिस्थितियों को आरोपी ने अपने अभियुक्त परीक्षण कथन अंतर्गत धारा 313 द०प्र०स० में अस्वीकार किया है तथा स्वयं के निर्दोष होकर प्रकरण में झूठा फसाये जाने का कथन किया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:—

1. क्या आरोपी राजू डहेरिया ने दिनांक 03.02.2011 को समय 12:00 बजे स्थान ग्राम किरमीटोला थाना गढ़ी जिला बालाघाट में लोक मार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी.20 पी.ए. 1024 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या आरोपी राजू डहेरिया ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर प्रार्थिया/आहगण सुकलियाबाई, शांतिबाई, रमेश, प्रदीपकुमार, दोलू, रेवासिंह को उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपी राजू डहेरिया ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत सुकलियाबाई, शांतिबाई को घोर उपहति कारित किया ?

—:संकारण निष्कर्ष:—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2 तथा 3

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. सुकलियाबाई (अ०सा०1) का कथन है कि घटना आज से लगभग ढेड़ वर्ष पूर्व की है जब वह अपने पति के साथ ग्राम घोट्टा से इलाज हेतु बस से बिछिया जा रही थी। शर्मा ढाबा के

शा० वि० राजू डहेरिया पास बस पलट गयी जिससे उसे दाये कंधे तथा पुट्टे पर अंदरूनी चोटें आयी। घटना बस ड्रायवर की गलती से हुई जिसे आरोपी चला रहा था। उसका चिकित्सा परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछिया में हुआ तथा एक्सरा मण्डला में हुआ था। उसने घटना की पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 दर्ज करायी थी, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है।

6. शांतिबाई (अ०सा००२) के अनुसार दो वर्ष पहले वे लोग मण्डला कुम्भ मेला में बस से गये थे। शर्मा ढाबा के पास बस पेड़ से टकरा गयी थी। दुर्घटना में उसे कमर, पसली में चोटें आयी थी। प्राथमिक उपचार बिछिया में होने के बाद मण्डला में उसका उपचार हुआ था। दुर्घटना ड्रायवर की गलती से हुई थी।
7. रमेश (अ०सा००३) के अनुसार दो वर्ष पूर्व वह मण्डला कुम्भ मेला में बस से गया था, जो मोतीनाला शर्मा होटल के पास पेड़ से टकरा गयी थी। दुर्घटना में उसका दांत टूट गया था तथा अन्य लोगों को भी चोटें आयी थीं। उसका प्राथमिक उपचार बिछिया में हुआ था। दौलू (अ०सा००५), रेवा (अ०सा००६) तथा प्रदीप (अ०सा००७) के अनुसार घटना आज से एक वर्ष पूर्व की है। जब वह लोग बस में तीस-पैंतीस लोग बैठे हुए थे। दिन के करीब दस बजे घटनास्थल मोड़ होने के कारण बस पेड़ से टकरा गयी थी जिसमें दौलू को दाहिने पैर तथा सीने में रेवा को नाक पर, प्रदीप को घुटने पर तथा अन्य यात्री को चोटें आयी थीं।
8. अशोक अग्निहोत्री (अ०सा००८) के अनुसार पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से दस्तावेजों के साथ बस जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 2 तथा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.5 बनाया था। उसके द्वारा बस का परीक्षण पर रिपोर्ट प्र.पी.4 बनाया था उक्त दस्तावेजों के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे बस के सभी पार्ट्स ठीक अवस्था में मिले थे।
9. डॉक्टर डी.के. टकसावडे (अ०सा००९) के अनुसार दिनांक 03.02. 2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछिया में पद स्थापना के दौरान थाना बिछिया से आहतगण को लाने पर उनके द्वारा परीक्षण किया गया था। सुकलियाबाई के दाये पैर, घुटने में चोटें थी, जिसकी रिपोर्ट प्र.पी.1 है जिसके अनुसार उसे

शा0 वि0 राजू डहेरिया
हयूमरस बोन में अस्थिभंग था। शांतिबाई के बायें जांघ तथा कमर में सूजन थी, जिसकी रिपोर्ट प्र.पी.6 है शांतिबाई के एक्सरा आर्टिकल ए2 तथा रिपोर्ट प्र.पी.12 के अनुसार बांये कुल्हे तरफ पेलबिस बोन में अस्थिभंग था। रमेश के बायें भो तथ बायें पैर पर चोटें थीं जिसकी रिपोर्ट प्र.पी.7 है।

10. डॉक्टर डी.के. टकसावडे (अ0सा009) के अनुसार दौलू के बायें पैर के घुटने में घाव था, जिसकी रिपोर्ट प्र.पी.8 है। रेवासिंह के नाक में मध्यभाग तथा दायें तरफ चेहरे में खरोच के निशान थे जिसकी रिपोर्ट प्र.पी.9 है, उक्त समस्त दस्तावेजों के ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। आहत प्रदीप का परीक्षण डॉ. विधि उइके द्वारा किया गया था, जिनके अनुसार आहत को छाती तथा बायें घुटने में दर्द की शिकायत थी, उक्त रिपोर्ट प्र.पी.10 है जिसके ए से ए भाग पर डॉ. विधि उइके के हस्ताक्षर हैं। उक्त समस्त चोटें तीन घण्टे के भीतर की होकर कड़े एवं बोथरे वस्तु से आना संभावित थीं।

11. राजकुमार हिरकने (अ0सा010) के अनुसार दिनांक 04.02.2011 को थाना गढ़ी में पद स्थापना के दौरान अपराध क्रमांक 6/11 धारा 279, 337, 338 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा सुकलियाबाई की निशादेही पर मौकानक्शा प्र.पी.13 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, तथा बी से बी भाग पर प्रार्थी की अंगूठा निशानी है। उक्त दिनांक को उसके द्वारा साक्षी सुकलिया, संपत दिनांक 24.02.2011 को साक्षी रमेश, शांतिबाई तथा दौलू दिनांक 10.03.2011 को साक्षी प्रदीप के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 07.03.2011 को आरोपी से बस क्रमांक एम.पी.20 पी.ए. 1024 मय दस्तावेजों के गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.2 तैयार किया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.3 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12. राजकुमार हिरकने (अ0सा010) के अनुसार प्रधान आरक्षक गोहनलाल द्वारा अपराध क्रमांक 6/11 दिनांक 04.02.2011 को आरोपी बसे चालक एम.पी.20 पी.एम.1024 के विरुद्ध प्रथम

शा० वि० राजू डहेरिया

सूचना रिपोर्ट प्र.पी.14 दर्ज की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13. उक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा बस क्रमांक एम.पी.20 पी.ए.-1024 को चालन कर किरमीटोला शर्मा ढाबा के पास दुर्घटना कारित की थी जिसमें आहत सुकलियाबाई एवं शांतिबाई को गंभीर उपहति तथा आहत रमेश, दौलू, रेवासिंह एवं प्रदीप को सामान्य उपहति कारित हुई थी। यद्यपि बचाव पक्ष द्वारा आरोपी की पहचान विवादित होने का तर्क दिया गया है। तथापि साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि आरोपी द्वारा ही घटना दिनांक को आहत बस चालन किया गया था। क्योंकि घटना के आहत तथा फरयादी सुकलियाबाई (अ०सा०१) ने अपने परीक्षण में आरोपी द्वारा वाहन चालन करने के अखण्डनीय कथन किये हैं। घटना के अन्य आहतगणों ने आरोपी द्वारा बस चालन से इंकार किया है तथापि बचाव पक्ष द्वारा इस संबंध में को भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि घटना के समय आरोपी द्वारा वाहन का चालन नहीं किया जा रहा था या आरोपी अन्यत्र उपस्थित था।
14. अब प्रश्न यह है कि क्या आरोपी द्वारा वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था। प्रार्थी सुकलियाबाई (अ०सा०१) तथा शांतिबाई (अ०सा०३) एवं रमेश (अ०सा०४) के अनुसार दुर्घटना ड्रायवर की गलती से हुई थी। जबकि घटना के अन्य सभी आहतगणों द्वारा दुर्घटना में ड्रायवर की गलती होने से इंकार किया है। सुकलियाबाई (अ०सा०१), शांतिबाई (अ०सा०३) तथा रमेश (अ०सा०४) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि बस सामान्य गति से चल रही थी परंतु उक्त साक्ष्यों ने यह भी स्वीकार किया है कि बस में भीड़ थी तथा वे बीच में खड़े थे। साक्ष्य से स्पष्ट है कि बस में काफी भीड़ थी तथा करीब तीस-पैंतीस लोग बैठे थे। यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि बस में भीड़ के बीच में बैठा व्यक्ति बस की वास्तविक गति का अंदाज लगा सके। यह सर्वविदित है कि गति के संबंध में उन्हीं व्यक्तियों के कथन विश्वसनीय हो सकते हैं जो सामान्यतः वाहन चालन में दक्ष होते हैं, अन्य व्यक्तियों के कथन गति के संबंध में

शा0 वि0 राजू डहेरिया

सामान्यतः विश्वसनीय नहीं होते हैं। सामान्य गति का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है।

15. सुकलियाबाई (अ0सा01) के अनुसार शर्मा ढाबा के पास बस पलट गयी थी जिससे यात्रियों को चोटें आयी थी। उक्त कथन की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 से होती है अन्य सभी आहतगणों के अनुसार दुर्घटना बस के पेड़ से टकराने पर हुई थी। घटना का मौकानक्शा प्र.पी.13 को देखने पर घटनास्थल पर पेड़ होना दर्शित है, यह संभव है कि बस पेड़ से टकराकर पलटी हो। मौकानक्शा से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी द्वारा विपरीत दिशा में जाकर दुर्घटना कारित की गयी थी। दुर्घटना ग्रस्त बस यात्रियों से भरी हुयी थी जो यह दर्शित कराती है कि आरोपी द्वारा वाहन चालन में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिये थी।
16. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया है कि दुर्घटना बस का चक्का निकल जाने से हुई उक्त तर्क विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता क्योंकि वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 के अनुसार बस के सभी पाटर्स ठीक अवस्था में थे। बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि वाहन परीक्षण कर्ता अशोक अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि यदि पुलिस उक्त घटनाग्रस्त बस को पहले से ठीक करके लायी हो तो साक्षी को उसकी जानकारी नहीं है। उक्त तर्क अविश्वसनीय प्रतीत होता है क्योंकि यह संभव नहीं है कि आरोपी को फसाने के लिए पुलिस द्वारा दुर्घटना ग्रस्त बस को ठीक कर परीक्षण हेतु ले जाया गया हो। पुलिस का आरोपी से कोई वैमनस्य दर्शित नहीं है।
17. आरोपी द्वारा यात्रियों से भरी बस को विपरीत दिशा में जाकर दुर्घटना कारित की गयी है जो यह दर्शाती है कि आरोपी द्वारा वाहन के चालन में उपेक्षा बरती गयी है। रेस इप्सा लोकचर सिद्धांत के अनुसार प्रकरण में आरोपी द्वारा उपेक्षापूर्वक आचरण किया गया है। फलतः यह सिद्ध होता है कि आरोपी द्वारा बस को उपेक्षापूर्वक चलाकर उस पे सवार यात्रियों को चोटें करित की गयी है। अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी राजू डहेरिया द्वारा दिनांक 03.02.2011 को बारह बजे ग्राम किरमीटोला थाना गढ़ी बालाघाट पर वाहन क्रमांक एम.पी. 20

शा० वि० राजू डहेरिया

पी.ए. 1024 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा आहत रमेश, प्रदीप, दौलू, रेवासिंह को उपहति तथा सुकलियाबाई एवं शांतिबाई को घोर उपहति कारित की। अतः न्यायालय आरोपी को धारा 279, 337 (चार बार), 338 (दो बार) भा.दं०सं० के तहत दण्डनीय अपराध से दोषसिद्ध किया जाता है। चूंकि दो आहतगणों को गंभीर उपहति कारित हुई है इस हेतु उनके संबंध में अभियुक्त को केवल गुरुत्तर अपराध धारा 338 भा.दं०सं० के तहत ही दोषसिद्ध किया जाता है।

18. अभियुक्त द्वारा लोक मार्ग पर यात्रियों से भरी बस को उपेक्षापूर्वक चलाकर यात्रियों को चोटें कारित की गयी हैं, वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना अनुचित प्रतीत होता है।
19. अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा 279 भा. दं०सं० के तहत दण्डनीय अपराध हेतु 01 (एक) सप्ताह का साधारण कारावास तथा 1,000/—(एक हजार रुपये) अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 (एक) माह का साधारण कारावास, धारा 337 भा.दं०सं० के तहत प्रत्येक दण्डनीय अपराध के लिए 01 (एक) सप्ताह का कारावास एवं 500/—(पांच सौ रुपये) अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में (15) पंद्रह दिवस का साधारण कारावास, धारा 338 भा. दं०सं० के तहत प्रत्येक दण्डनीय अपराध के लिए (01) एक माह का कारावास तथा 1000/—(एक हजार रुपये) अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में (01) एक माह का साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है। उपरोक्त समस्त सजायें साथ-साथ चलेंगी।
20. अर्थदण्ड की राशि अदा किये जाने पर गंभीर आहतगण सुकलियाबाई एवं शांतिबाई को एक-एक हजार रुपये तथा अन्य आहतगण रमेश, प्रदीप, दौलू तथा रेवासिंह को पांच-पांच सौ रुपये प्रतिकर के रूप में अपील अवधि पश्चात अदा किये जावें। अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।
21. अभियुक्त के जमानत मुचलके जप्त किये जाते हैं।

शा० वि० राजू डहेरिया

22. प्रकरण में जप्तसुदा संपत्ति वाहन कमांक एमपी 20पी.ए.—1024 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।
23. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

दिनांक —31.08.2016

स्थान — बैहर (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी

बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)